न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी	:	**नवदीप, आर.जे.एस.**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	480/2015
सी.आई.एस. संख्या	:	551/2015
सी.एन.आर. संख्या	:	RJCH130008082015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	53/2015
पुलिस थाना	:	भालेरी

(10 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

राजस्थान राज्य

-- अभियोगी

बनाम

1. सत्तार पुत्र हबीब खां, उम्र 25 साल ,
2. रूस्तम पुत्र हुसैन, उम्र 27 साल,
3. महबूब पुत्र आमीन खां, उम्र 30 साल,

निवासीगण- मन्दरपुरा, थाना नोहर, जिला हनुमानगढ़

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता, 1860

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री श्रवणसिंह, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

Date of Offence	03.04.15 से 07.06.15 के बीच
Date of FIR	07.06.2015
Date of Final Report	16.08.2015
Date of Framing Charges	04.02.2016
Date of Commencement evidence	07.04.2021
Statement u/s 313 Cr.P.C.Recorded on	13.03.2026
Date of Complition of Arguements	13.03.2026

- निर्णय - **दिनांकः 13 मार्च, 2026**

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू के आदेश क्रमांक 1(जी)(1)स्था./2026/11 दिनांकित 13.01.2026 की अनुपालना में उक्त प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर से अंतरित होकर कालांतर में दिनांक

15.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2015 को परिवादी शांति प्रकाश ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना, भालेरी में इस आशय की पेश की कि ग्राम मेलूसर बीकान में स्थित दुरभाष केन्द्र (बी.एस.एन.लि.) मे 3–4–2015 से 5–6–2015 के बीच पुरानी बेट्री सेट में से (24) मे से 22 CELL चोरी हो गये है। अब दिनांक 6–6–2015 व 7–6–2015 की रात्री को कोई अज्ञात व्यक्ति नये बेट्री सेट पूरा का पूरा 24 CELL चोरी कर ले गये है। टैलीफोन एक्सचैज ग्राम मैलूसर बीकान के पुराने मकान में स्थित है। जिसमे कोई कर्मचारी नहीं रहता है, इत्यादि।

उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भालेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2015 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर में पेश किया। उक्त आरोप पत्र के आधार पर उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

3. अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता, 1860 का अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष व परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः–

क्र.सं.	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का क्रम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
1.	शांति प्रकाश	पी.डब्ल्यू.–1	उपमण्डल अभियंता
2.	प्रकाश	पी.डब्ल्यू.–2	ताईद एफआईआर
3.	भंवरलाल	पी.डब्ल्यू– 3	ताईद एफआईआर
4.	विक्रमदान	पी.डब्ल्यू– 4	ताईद एफआईआर
5.	धर्मपाल	पी.डब्ल्यू– 5	अनुसंधान अधिकारी
6.	धर्मेन्द्र कुमार	पी.डब्ल्यू– 6	ताईद एफआईआर
7.	कैलाश चन्द्र	पी.डब्ल्यू– 7	ताईद एफआईआर
8.	गोपाल सिंह	पी.डब्ल्यू– 8	ताईद एफआईआर

5. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः–

क्र.सं.	**दस्तावेज का नाम**	**दस्तावेज की संख्या**

1.	लिखित प्रार्थना पत्र	प्रदर्शपी–1
2.	चाक एफआईआर	प्रदर्शपी–2
3.	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्शपी–3
4.	पुलिस बयान प्रकाश	प्रदर्शपी–4
5.	फर्द तस्वर जब्ती	प्रदर्शपी–5
6.	घटनास्थल तस्दीक	प्रदर्शपी–6
7.	पूछताछ रिपोर्ट	प्रदर्शपी–7 व 8
8.	भानीपुरा में दर्ज एफआईआर	प्रदर्शपी–9 व 10
9.	मालखाना पंजिका की प्रमाणित प्रति	प्रदर्शपी–11
10.	अभियुक्तगण का प्रोडक्शन वारंट	प्रदर्शपी–12 ता 14
11.	फर्द गिरफ्तारियां अभियुक्तगण	प्रदर्शपी–15 ता 17
12.	फर्द इत्तिला	प्रदर्शपी–18 ता 21
13.	फर्द जप्ती	प्रदर्शपी–22
14.	नक्शा मौका	प्रदर्शपी–23
15.	हालात का विवरण	प्रदर्शपी–23ए
16.	फर्द इत्तला	प्रदर्शपी– 24
17.	फर्द जप्ती	प्रदर्शपी– 25
18.	नक्शा मौका	प्रदर्शपी– 26
19.	हालात का विवरण	प्रदर्शपी– 26ए
20.	फर्द इत्तला	प्रदर्शपी– 27
21.	फर्द जप्ती	प्रदर्शपी– 28
22.	नक्शा मौका	प्रदर्शपी– 29
23.	हालात का विवरण	प्रदर्शपी– 29ए
24.	मालाखाना पंजिका की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी– 30
25.	मुलजिमान का अपराधिक रिपोर्ट	प्रदर्शपी– 31
26.	चालान	प्रदर्शपी– 32

6. अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किए कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया जाना बताते हुए जाहिर किया कि उनके परिवारजन ने मंगलसिंह एएसआई को एसीबी में ट्रेप कराया था, इस कारण रंजिशवश उसे झूठाया फंसाया गया है, अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई नहीं पेश करना चाहा।

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया

कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन पक्ष की कहानी की ताईद की गई है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जाहिर किया कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्राही साबित हुए हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर बरी फरमाया जाए।

9. प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि:–

(1) आया अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब द्वारा दिनांक 30.04.2015 से 05.06.2015 के बीच किसी समय व दिनांक 06.06.2015 से 07.06.2015 के बीच किसी समय ग्राम मेलूसर बीकान में स्थित दूरभाष केन्द्र (बी.एस.एन.लि.) से चोरी करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार कर बिना परिवादी शांतिप्रकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी की सम्मति के पुरानी बैट्री सेट 24 में से 22 बैट्री सेल व नये बैट्री सेट पूरा का पूरा 24 सेल बेईमानीपूर्वक चोरी कर अपराध कारित किया?

(ख) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

10. उक्त आरोपित अपराध के सम्बंध में अभियोजन पक्ष द्वारा **कुल 09 साक्षी** को पेश कर परीक्षित करवाये गये है, जिसमें से पी.डब्ल्यू 02 प्रकाश न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से पक्षद्रोही साबित हुआ है तथा गवाह **शांति प्रकाश पी.डब्ल्यू. 1** ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि मैं बीएसएनएल विभाग में उप मंडल अभियंता के पद पर 31 मार्च 2014 से कार्यरत हूं। दिनांक 06.06.2015 को मैंने प्रकाश शर्मा निवासी मैलूसर बीकान को फोन किया और कहा कि दुरभाष केंद्र में जाकर चैक करो। जिसकी चाबी प्रकाश शर्मा के पास रहती है। फिर प्रकाश शर्मा ने वहां जाकर मुझे बताया कि दुरभाष केंद्र में लगी हुई दो एचबीएल कंपनी की बैटी में से एक बैदी के 22 सैल गायब है व ताला लगा मिला। अगले दिन सुबह फिर प्रकाश ने मुझे फोन किया और कहा कि उक्त भवन का ताला खुला पड़ा है और नई बैटी के 24 के 24 सैल गायब है। कोई अज्ञात व्यक्ति हमारी दोनों बैटीयों के सैल चोरी करके ले गया था। फिर मैंने थाने में एक लिखित प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया जो प्रदर्श पी 1 है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। जिसपर चाक एफआईआर दर्ज हुई जो प्रदर्श पी 2 है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3 है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त बेटीयां मुझे बाद में पता चला कि सतार, राजु आदि नाम के तीन–चार व्यक्ति थे. जिन्होंने चुराई थी। उक्त व्यक्ति ने भानीपुरा टावर से भी चोरी की

थी। उक्त बैदीयां अभी तक हमने सुपुर्दगी पर ली नहीं है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि मैं किसी भी मुलजिम को जानता नहीं हूं और ना ही में मुलजिम को देखकर पहचान सकता हूं। यह कहना सही है कि चोरी करते हुए मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा। यह सही है कि मेरे सामने किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई थी। यह सही है है। कि अगर पुलिस पुलिस ने मुलजिमान को इस मुकदमें में झुठा फंसाया हो तो मैं नहीं बता सकता। मैलूसर गांव के टावर पर कब व किल्ने बजे चोरी हुई मुझे पता नहीं है। अजखुद कहा कि पहली बार कब चोरी हुई, मुझे पता नहीं है। दूसरी बार जब चोरी हुई थी उसकी मुझे जानकारी है। हमारे टावरों पर लगे हुए सैलो की एक साथ खरीद की जाती है और बिल लेकर आते है। यह कहना सही है कि बिल पत्रावली में पेश नहीं किया हुआ है। यह कहना सही है कि हमारे पास जिस टावर पर जो भी सैल लगाये जाते है, उनके कॉमन लोट नबर आते हैं जो रैंक पर लिखे होते हैं। उसका हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, जो पत्रावली पर पेश नहीं किया हुआ है। सैल के कोई किलोवॉट नहीं होते है। सैल के सीरिज नंबर होते है, जो में नहीं वता सकता और ना ही सीरिज नंबर का हमारे पास कोई रिकोर्ड है। उक्त टावर पर कुल दो बैकअप सेंट लगे हुए थे। एक बैकअप सैट 30.04.2015 से 05.06.2015 के बीच चोरी हुआथा। दुसरा सैट 6 व 7 जून के मध्य रात को चोरी हुआ था। यह कहना सही है कि 30.04.2015 से 05.06.2015 के मध्य हुई चोरी का कोई मुकदमा हमने दर्ज नहीं कराया था। मेरे थाने और मैलूसर टावर पर पुलिस ने साईन कराये थे, उसके अलावा कहीं पर साईन नहीं कराये थे। इस प्रकरण की मुझे एफआईआर के अलावा कोई जानकारी नहीं है। अगर उक्त पत्रावली में बिल दिनाकित 05.08.2015 के सीरीयल नंबर वाले ही सैल हो तो मैं नहीं बता सकता। हमारे द्वारा दर्ज कराये गए मुकदमें में जो बैकअप टावरों पर लगाये जाते है वो दिल्ली से खरीदे जाते है। अजखुद कहा कि सैल कंपनी के अन्य ब्रांच से भी खरीदे जा सकते है। यह कहना सही है कि टूटे हुए सैल आसानी से बाजार में या कबाडीयों के पास उपलब्ध हो सकते है। टावर में लगे जनेटर की बैटी चोरी नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि हमारे विभाग के टावर में चोरी नहीं हुई हो और मैंने यह झुठा मुकदमा दर्ज कराया हो। यह कहना गलत है कि मेरे पास मुकदमा दर्ज कराने की ऑथोरिटी ना हो। यह सही है कि मैंने पत्रावली में ऑथोरिटी पेश नहीं की है और साथ में लेकर नहीं आया हूं। अजखुद कहा कि लिखित में ऑथोरिटी नहीं है। यह सही है कि टावरवाला स्थान सुनसान स्थान है, वहांपर कोई गार्ड नहीं लगा हुआ है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.3 भंवरलाल** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 05.07.2015 को मैं पुलिस थाना भानीपूरा में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उसरोज एफआईआर नंबर 53/2015 पीएस भालेरी की पत्रावली में धर्मपाल हैड कानि ने मेरे सामने भानीपूरा थाने में दौराने अनुसंधान भानीपूरा थाने की एफआईआर नंबर 93/2015 व 86/2015 पीएस भानीपूरा की पत्रावली में जब्तशुदा वाहन पिकअप आरजे 49 जीए 0706 जो थाना परिसर में खडी का फर्द तस्वर जब्ती मेरे सामने तैयार

की थी जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि फर्द जब्ती पिकअप आरजे 49 जीए 0706 कब जब्ती तैयार की थी मैं दिनांक नहीं बता सकता है केवल साल बता सकता हूँ जो 2015 है। फर्द तस्वर जब्ती मानीपूरा थाने में तैयार की थी। हमारे मुकदमें में 53/2015 एफआईआर दर्ज हुई थी उससे पूर्व उक्त पिकअप भानीपूरा थाने में जब्त नहीं थी। 93/2015 व 86/2015 मुकदमा कब दर्ज हुआ उसकी तारीख में नही बता सकता था। उक्त मुकदमे विद्युत चोरी के बारे में दर्ज हुए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–05 पर सी से डी में दिनांक में आठ को संशोधित कर पाँच की गई दर्शित होती है। पिकअप के मालिकाना हक के संबंध में मुझे जानकारी नही है। यह कहना सही है कि उक्त पिकअप किससे जब्त की गई यह जानकारी भी मुझे नही है। यह कहना सही है कि भानीपूरा थाने में पिकअप भरी हुई जब्त की या खाली जब्त की मैं नहीं बता सकता। धर्मपाल हैड कानि पुलिस थाना भालेरी उक्त पिकअप को तस्वर जब्ती बनाने आया था उसके साथ कोई भी मुलाजमान नहीं आया था वह अकेला ही आया था। यह कहना सही है कि मुकदमा नंबर 53/2015 पीएस भालेरी में धर्मपाल हेड कानि अनुसंधान करने के लिए या फर्द तस्वर जब्ती पिकअप आरजे 49 जीए 0706 में अधिकृत था या नही मै नहीं बता सकता । ना ही उसके अधिकृत होने के दस्तावेज देखे थे। प्रदर्श पी–05 धर्मपाल जी के द्वारा तैयार की गई थी। फर्द तस्वर बनाते समय भालेरी थाने का कोई सिपाही साथ में नहीं था। ओर परिवादी एफआईआर संख्या 53/2015 पीएस भालेरी का साथ में नहीं था। यह कहना सही है कि मैं जिस मुकदमा में आज बयान देने आया हूँ इस मुकदमे के नंबर मुकदमा 551/2015 एफआईआर संख्या 53 / 2015 पीएस भालेरी की घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं है। उक्त प्रकरण किस घटना के संबंध में है मैं नही बता सकता। यह कहना गलत है कि मै उक्त प्रकरण में झूठा गवाह बना हूँ। यह कहना भीगलत है कि अनुसंधान अधिकारी मेरा सीनियर अधिकारी होने के कारण मैने उनके कहे अनुसार झूठे हस्ताक्षर किये हो। मैं यह नहीं बता सकता कि 2015 में कॉस्टेबल, हैड कॉस्टेबल, एएसआई, एसआई, एसएचओ किस प्रकरण में जाँच करने के अधिकारी है। हैड कॉस्टेबल उस समय चोरी के मामले में अनुसंधान करने के लिए सक्षम अधिकारी था या नही मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.4 विक्रमदान** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 04.08.2015 को मैं पीएस भालेरी में एफसी के पद पर पदस्थापित था उस रोज एफआईआर नंबर 53/2015 में गिरफतारशुदा मुलजिमान सतार खां, महबूब खां व रूस्तम खां में अनुसंधान अधिकारी धर्मपाल एचसी को दी स्वेच्छा इतिला अनुसार मेलूसर गांव में जिस जगह पर चोरी की गई थी व घटनास्थल तस्दीक कराया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि दिनांक 04.08.2015 को मैं पीएस भानीपुरा में तैनात था लेकिन इसका कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि मैं उक्त एफआईआर में

दर्शित गिरफतारशुदा मुलजिमान को देखकर नहीं पहचान सकता क्योंकि समय अधिक हो गया है। यह कहना सही है कि गांव मेलूसर कभी मेरा बीट नहीं रहा है। मुलजिमान को कहां से गिरफतार किया था मैं नहीं बता सकता। अगर मुलजिमान पहले से जेल में हो और वहां से उनको गिरफतार करके लाया गया हो तो मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता अगर मुलजिमान द्वारा नोहर थाने के थानेदार मंगल सिंह को रिश्वत के मामले में ढेप करवाया हो। मैं यह नहीं बता सकता कि पुलिस ने इसी रंजिश को लेकर मुलजिमान को अलग अलग प्रकरण में फंसाया हो। मेरे पुलिस में बयान हुए थे या नहीं मुझे आज याद नहीं है। मेलूसर में कुल कितने टावर लगे हुए है, किस किस कंपनी के लगे हुए है व किस किस बास में लगे हुए है मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मेलूसर बडा गांव है। यह कहना सही है कि मेलूसर में मुस्लिम मोहल्ले में भी टावर लगा हुआ है, ब्राहमण व राजपूत मोहल्लों में भी टावर लगा हुआ है। इनमें से कौनसे टावर पर मैं गया था आज याद नहीं है क्योंकि गांव में 5–6 टावर लगे हुए है जिनमें से दो–तीन टावर पास–पास लगे हुए है। हम प्रदर्श पी 6 पर कितनी बजे गए थे समय मुझे आज याद नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता कि मैं दिन में सुबह, शाम, दोपहर किस समय गया था। मौके पर गांव के अन्य कोई व्यक्ति नहीं आए थे। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी धर्मपाल एचसी थे। प्रदर्श पी 4 अनुसंधान अधिकारी धर्मपाल ने तैयार किया था। मुलजिम मारवाडी भाषा के अलावा पंजाबी भी बोल रहे थे। मुलजिमान ने इतिला मारवाडी भाषा में दी थी या पंजाबी भाषा में दी थी मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल तस्दीक का स्थान मूलजिमान ने किस भाषा में बताई थी मुझे आज याद नहीं है। घटनास्थल किस मुखी था मैं नहीं बता सकता लेकिन खुला स्थान था जहां पर कोई भी आ जा सकता है, जहां पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। मैं यह नहीं बतासकता कि इस स्थान पर किसी टावर पर दुरभाष कंपनी का संचालन हो रहा था या नहीं। यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली पर उस दिन घटनास्थल पर जाने व आने का रोजनामचा शामिल नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं उस दिन घटनास्थल पर ना गया होउ और अधिनस्थ कर्मचारी होने के कारण थाना में ही फर्द पर हस्ताक्षर किए हो।

गवाह **पी.डब्ल्यू.5 धर्मपाल** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 07.06.2015 को मैं पुलिस थाना भालेरी में हैडकानि के पद पर कार्यरत था। उस रोज परिवादी शांतिप्रकाश चौहान उप मण्डल अभियंता भारत संचार निगम सरदारशहर में धानाधिकारी भोपाल सिंह एएसआई के समक्ष मुकदमा दर्ज करने का आवेदन प्रदर्श पी ०१ प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने एफआईआर संख्या 53/2015 दर्ज अनुसंधान मेरे सुपुर्द किया, प्रदर्श पी 01 पर सी से डी मुकदमा दर्ज करने का पृष्ठांकन है. ई से एक भोपाल सिंह एएसआई के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी स्थान पर भोपाल सिंह एएसआई के हस्ताक्षर है, जो मैं साथ काम करने के कारण पहचानता हूँ। दौराने तफतीश घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 तैयार किया, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मौतबीरान व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। हालात प्रदर्श पी 3ए पर है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में चोरीशुदा माल के संबंध में पुलिस थाना मानीपुरा की एफआईआर संख्या 93/2015 में

गिरफतारशुदा मुल्जिमान सतार व रूश्तम ने अनुसंधान अधिकारी को अपनी पूछताछ रिपोर्ट प्रकरण हाजा के चोरीशुदा माल चोरी करने के संबंध में जानकारी दी थी. जिनकी पूछताछ रिपोर्ट कमशः प्रदर्श पी 07 व प्रदर्श पी 08 है. जो अनोपसिंह एएसआई के हस्ताक्षरों से प्रमाणित है. मैं उनके हस्ताक्षर साथ काम करने के कारण पहचानता हूँ। अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना मानीपुरा में दर्ज एफआईआर प्रदर्श पी 09 व 10 है। भानीपुरा थाने की मालखाना पजिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 11 जिन पर ए से बी शामिल पत्रावली करने के मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 07 व 08 पर सी से डी शामिल पत्रावली करने के मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिमान सतार खा व महबुब खा तथा रूश्तम खां को जरिये फर्द कमशः प्रदर्श पी 12 13 व 14 के प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफतार किया गया था, जिन पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान व ई से एफ मुल्जिमान तथा जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है, जिनकी फर्द कारण गिरफतारीया क्रमश प्रदर्श पी 15, 16 व 17 है, जिन पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम सतार खा ने मुझे स्वेच्छा इतला दी कि मैलुसर गांव में जहाँ से बैटरी चोरी की थी, यह स्थान साथ चलकर बता सकता हूँ, जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी 18 है. जिस पर ए से बी मुल्जिम व सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम महबुब ने मुझे स्वेच्छा इतला दी कि मैलुसर गाव में जहाँ से बैटरी चोरी की थी, वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूँ, जिसकी फर्द इत्तला प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी मुल्जिम व सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम रूश्तम खा ने मुझे स्वेच्छा इतला दी कि मैलुसर गाय में जहाँ से बैटरी चोरी की थी, वह स्थान साथ बलकर बता सकता हूँ, जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी मुल्जिम व सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। तीनों मुल्जिमान ने प्रकरण के घटनास्थल को तस्दीक करवाया, जिस फर्द प्रदर्श पी 06 है. जिस पर ए से बी. सी से डी मौतबीरान, ई से एफ, जी से एच, आई से जे मुल्जिमान तथा के से एल स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम सतार खा ने मुझे स्वेच्छा इतला दी कि चोरीशुदा एक बैटरी, 8 बैटरिया प्लेटे व प्लास्टिक मैंने मेरे घर में छुपा रखी है. जो साथ चलकर बरामद करवा सकता हूँ, जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ए से बी सतार व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम सतार खा ने अपनी इतला अनुसार अपने गांव मंदरपुरा में अपनी निशानदेही से हमे लेकर गया और अपने मकान में हमारे आगे–आगे प्रदेश कर पश्चिमी दक्षिणी कोना में बने कमरे के गेट को खोलकर एक तख्त के नीचे छुपा रखी बैटरीएक कट्टे में रखी हुयी बैटरी की 72 प्लेट्टे व प्लास्टिक के टुकडे बरामद करवाये, जिन्हें बतौर वजह सबूत के जप्त किया गया था, फर्द जप्ती प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एक मुल्जिम व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी 23 है. जिस पर ए से बी. सी से डी मौतबीरान ई से एक मुल्जिम व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। हालात का विवरण प्रदर्श पी 23 ए पर है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम महबुब खा ने मुझे स्वेच्छा इतला दी कि चोरीशुदा एक बैटरी 4 बैटरिया प्लेटे व प्लास्टिक मैंने मेरे घर में छुपा रखी है. जो साथ चलकर बरामद करवा सकता हूँ, जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी 24 है, जिस पर ए से बी महबुब व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम महबुब खा ने अपनी इतला

अनुसार अपने गांव मंदरपुरा में अपनी निशानदेही से हमें लेकर गया और अपने मकान में हमारे आगे–आगे प्रवेश कर उत्तरी–पूर्वी कोना में बने कमरे के गेट को खोलकर एक चारपाई के नीचे छुपा रखी बैटरी, एक बैटरी की 36 प्लेटे व प्लास्टिक के टुकडे बरामद करवाये, जिन्हे बतौर वजह सबुत के जप्त किया गया था, फर्द जप्ती प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी सी से डी मौतबीरान, ई से एक मुल्जिम व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 26 है. जिस पर ए से बी. सी से डी मौतबीरान में से एक मुल्जिम व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। हालात का विवरण प्रदर्श पी 26ए पर है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम रूस्तम खा ने मुझे स्वेच्छा इतला दी कि चोरीशुदा पाच बैटरीया, 45 प्लेटे व प्लास्टिक मैंने मेरे घर में छुपा रखी है. जो साथ चलकर बरामद करवा सकता हूँ जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी 27 है. जिस पर ए से बी रूश्तम व सी ही डी मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम रूस्तम खा ने अपनी इतला अनुसार अपने गांव नदरपुरा में अपनी निशानदेही से हमें लेकर गया और अपने मकान में हमारे आगे–आगे प्रवेश कर उत्तरी–पूर्वी कोना में बने कमरे के गेट को खोलकर बिस्तरो के नीचे छुपा रखी 45 प्लेटे, व बैटरियों को तोडकर निकाले गये प्लास्टिक के टुकडे बरामद करवाये, जिन्हे बतौर वजह त्तबुत के जप्त किया गया था. फर्द जप्ती प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 29 है, जिस पर ए से बी, सी से बी मौतबीरान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। हालात का विवरण प्रदर्श पी 29 ए पर है जिस पर ए से भी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। वजह सबुत थाना के मालखाना में सुरक्षित जमा करवाया, मालखाना पंजिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 30 है. जिस पर ए से बी मेरे प्रमाणित करने के हस्ताक्षर है। मुल्जिमान का आपराधिक रिपोर्ट प्रदर्श पी 31 है, जिन्हे ए से श्री शामिल करने के मेरे हस्ताक्षर है। गवाह शांतिप्रकाश चौहान, प्रकाश शर्मा के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। बाद तफतीश मुल्जिमान सतार खां, महबुब खा, रूश्तन खा के विरूद्ध जुर्म धारा 457 380 भा.द.स. के अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली गोपाल सिंह एसएचओ के पेश की, जिन्होंने चालान प्रदर्श पी 32 न्यायालय में पेश किया, जिस पर ए से बी स्थानों पर उनके हस्ताक्षर है, जो में साथ काम करने के कारण पहचानता हूँ। नोटः– प्रकरण हाजा का वजह सबूत न्यायालय के समक्ष अनसील्ड हालत में पेश हुआ है। मुल्जिम सतार से बरामद बैटरी आर्टिकल 1 है. टूटी हुयी बैटरियों की 72 प्लेट कमशः आर्टिकल 2 से 73 है यह वही है जो सतार खा ने बरामद करवायी थी और प्रकरण की चोरीशुदा थी। एक बैटरी आर्टिकल 74 मुल्जिम महबुब से बरामद है 36 प्लेटे कमशः आर्टिकल 75 से 110 है, ये वो ही है जो मुल्जिम महबुब ने बरामद करवायी थी, जो प्रकरण की चोरीशुदा है। 45 प्लेटे क्रमशः आर्टिकल 111 से 155 यही है, जो मुल्जिम रूश्तम खा से बरामद हुयी थी, प्रकरण की चोरीशुदा थी।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि प्रकरण में जो चोरी हुआ सामान लिखाया हुआ था, वो बरामद नहीं हुआ था। न्यायालय में जो आर्टिकल 1 से 155 डलवाये गये है. वो प्लास्टिक एवं

लोहे की जालीनुमा बनी हुयी सड़क के पुलिये में काम आने वाली प्लेट्स हो तो में नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उक्त प्लेटे प्लास्टिक व लोहेनुमा जाली से बनी हुयी व टुट्टी हुयों कई टुकडों में प्लास्टिक के कट्टों में डाल रखी है, जिनकी काउंटिंग करने पर संख्या बढ़ भी सकती है। यह कहना सही है कि मैलुसर गांव में बीएसएनएल का टावर स्थापित हो, इस संबंध में उक्त पत्रावलीपर कोई दस्तावेजात शामिल पत्रावली नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली में मैलुसर गाव में टेलीकॉम टावर के संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई किरायानामा या पंचायत द्वारा परमिशन नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवायी थी. उसकी व्यक्तिगत पहचान बाबत कोई आईडी एवं बीएसएनएल अधिकारी संबंधित कोई आईडी मैंने न तो ली थी और ना ही शामिल पत्रावली की है। प्रदर्श वी 02 में हिस्सा ई से एक में 03.04.2015 के स्थान पर कटिंग करें दिनांक 30.04.2015 बनाया गया है। यह कहना सही है कि उक्त एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुयी थी। यह कहना सही है कि उक्त एफआईआर में अलग–अलग दिनांक को चोरी होना बताया गया है, लेकिन उक्त एफआईआर देरी से दर्ज करने का कारण पत्रावली पर नहीं किया गया है एवं एफआईआर की कॉलम संख्या 8 में जी से एच हिस्से में नोट भी अंकित नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 02 में जी से एच हिस्से में देरी से संबंधित नो डीले अंकन किया हुआ है. जिसका मतलब है कि देरी नहीं हुयी है यानि चोरी एफआईआर वाली डेट को होती है, तब ही नी डीले लिखा जाता है। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि उक्त एफआईआर जिस दिन दर्ज हुयी थी या जिन तारीखों को चोरी होना एफआईआर में वर्णित किया है, उस दिनाक को उक्त प्रकरण के मुल्जिमान न्यायिक अभिरक्षा में हो। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जो आज बयानों में आर्टिकल 1 से 155 तक बताये है, वो किस अभियुक्त से कितनी कितनी संख्या में बरामद किये है, इस बारे मैं आज नहीं बता सकता हूँ, अजखुद कहा कि देखकर बता सकता है। यह कहना सही है कि पत्रावली में मैंने जो बरामदगी स्थल दर्शाये है, वो किसके मालिकाना के हक के थे. मैं नहीं बता सकता है, क्योंकि मैंने गांव के किसी भी सरपच/पटवारी/ग्राम सेवक से बरामदगी स्थल के मालिकाना हक से संबंधित तस्दीक नहीं करवायी थी, अजखुद कहा कि अभियुक्तगणों के बताये अनुसार ही गया था। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि मेरे द्वारा उक्त प्रकरण में दर्शित बरामदगी प्रदर्श डी 1 ता डी में वर्णित सैल व बैटरियों की हो. क्योंकि सैल/बैटरी तो दो ही बरामद है, बाकी का सारा सामान स्कंपनुना लोहे व प्लास्टिक की जालीनुमा प्लेटे है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी 1 ए से बी में सैल सीरीज अंकित है व सौ से डी हिस्से विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 2 में ए से बी में बिल का जीएसटी राशि सहित मुल्य व सी से डी हिस्से में जारी करने वाले के हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 3 सैल बिल में ए से बी में सीरीज नम्बर अकित है व सी से डी में जारी करने वाले के हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 4 में ए से बी में बिल का जीएसटी राशि सहित मुल्य व सी से डी हिस्से में जारी करने वाले के हस्ताक्षर है। गवाह ने प्रदर्श पी 1 देखकर कहा कि यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में जी से एच व आई से जे भाग में कटिंग की हुयी है तथा प्रदर्श पी 01 में मालिकाना हक से संबंधित कोई वर्णन नहीं है। मैलुसर गांव में कुल

कितने टावर लगे हुये है, में इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। टावर किस मौहल्ले में है ये में नहीं बता सकता हूँ, औषधालय के पास दो टावर लगे हुये हो तो मुझे ध्यान नहीं है. अजखुद कहा कि मैं जब गया था. उस समय एक ही टायर था, जो गांव के दक्षिण दिशा में ताल में था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में टावर कहाँ पर स्थापित है यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 03 में वर्णित स्थल से बैटरी चोरी नहीं हुयी हो। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि परिवादी ने अपने कोर्ट बयानों में बैटरी चोरी होने का जो अंकन किया है, वो सही किया है या गलत किया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में नक्शा–मौका तैयार करने बाबत समय का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 03 जो नक्शा–मौका तैयार किया है, उसमें जनरेटर बाहर होना दर्शाया है। यह कहना सही है कि हमने उक्त मुल्जिमानों को पूर्व से किसी अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में से प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफतार किया है। यह बात सही है कि उक्त प्रकरण में जो पिकअप जाती दर्शायी गयी है वो पूर्व से अन्य प्रकरण में जप्त थी, जो भानीपुरा थाने में दर्ज थी, जो किस दिनांक से जप्त थी. में इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। प्रदर्श पी 05. 09 व 10 एफआईआर में वर्णित मुल्जिमान पूर्व से न्यायालय से बरी हो गये हो तो मुझे ध्यान नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 11 मूल रजिस्टर मैंने न्यायालय में पेश नहीं किया हैं। प्रदर्श पी 11 में सी से डी हिस्से में कटिंग की गयी है त्ती से डी हिस्से में 73 को 86 बनाया गया हो तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। यह कहना भी सही है कि जो फर्द गिरफतारी की गयी है, जो प्रदर्श वी 15, 16, 17 है उसमें गिरफतारी का समय अंकित नहीं है। प्रदर्श पी 12. 13. 14. चूरू जैल में तैयार की गयी थी लेकिन ना तो इस पत्रावली में जेल में गिरफतारी करने से संबंधित जैल अधीक्षक को सुचना एवं रोजनामचा शामिल पत्रावली नहीं है. अजखुद कहा कि प्रॉडक्शन वारंट से लेकर आया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 18. 19, 20 मैंने स्वयं तैयार की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 06 में दिनांक अंकित नहीं है। प्रदर्श पी 21 में ई से एफ हिस्से को देखकर गवाह ने कहा कि यह दिनांक 03 है या 04 है मैं नहीं बता सकता हूँ अजखुद कहा कि 4 तारीख है। प्रदर्श पी 21. 24 08, व 27 मैंने स्वयं ने थाने में तैयार की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 23, 230, 26, 26ए 29 290 22. 26 तथा 2बी मैंने तैयार की थी. लेकिन इनके मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेजात शामिल पत्रावली नहीं किये हो और ना ही ग्राम पंचायत या किसी सरकारी कर्मचारी से वेरीफाई किये है। प्रदर्श पी २ए में सी से डी. ई से एक स्थान पर करेक्क्शन किया हुआ है और ना ही समय का अंकन है, अजखुद कहा कि मेरे हस्ताक्षर किये हुये है। प्रदर्श पी 23, 23ए 26, 260, 29, 29ए. 22, 25 तथा 2बी जब तैयार किये थे, तब मौके पर घर में वहीं कौन–कौन मौजुद थे, मैं नहीं बता सकता हूँ और कौन–चा हिस्सा किसके मालिकाना हक से संबंधित था. मैं नहीं बता सकता हूँ एवं कुल कितने सभी प्रदर्श पी में दर्शित स्थल पर कुल कितने मकान बने हुये थे. मुझे याद नहीं है। प्रदर्श पी 30 फॉटोकॉपी है, जिसकी मूल न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। प्रदर्श पी 05 में जो जप्ती दर्शित की गयी है, उसके सी से डी हिस्से में तारीख में कटिंग की गयी है। प्रदर्श पी 05 इस प्रकरण में की गयी गाडी की जप्ती है, जो दिनांक 05.07.2015 की है या

08.07.2015 की है. इस बारे में आज मुझे ध्यान नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि उक्त प्रकरण में वर्णित चोरी दिन में हुयी थी या रात में हुयी थी। मुझे ध्यान नहीं है कि उक्त प्रकरण में दर्शित चोरीस्थल का परिवादी मालिकाना हक रखता है या नहीं रखता है। आर्टिकल 1 2 कितने वाट या एचपी का है. इस बारे में में नहीं बता सकता हूँ और आज मुझे याद भी नहीं है। बीएसएनएल पर लगे टावर के जनरेटर की बैटरी चोरी हुयी थी या नहीं हुयी थी, मैं नहीं बता सकता हूँ, अजखुद कहा कि बैटरी चोरी हुयी थी। मैंने इस संबंध में कोई तफतीश नहीं की थी कि यदि उक्त टावर से संबंधित टैक्शीनिशियन ने अपने उच्चअधिकारीयों की बिना परमिशन से या परमिशन से इस टावर पर लगी बैटरीयों को दूसरें टावर पर लगा दी हो। यह कहना गलत है कि मैलुसर गांव में कोई चोरी नहीं हुयी हो और मैंने मंगल सिंह एएसआई के कहने से फर्जी मुकदमा दर्ज कर गलत तफतीश कर मुल्जिमान को झूठा फंसाया हो। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि मंगलसिंह एएसआई को भ्रष्टाचार निरोधक दल द्वारा ढेप करवाया गया हो। में यह भी नहीं बता सकता हूँ कि मंगलसिंह मेरे थानाधिकारी का मित्र है या नहीं है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.6 धर्मेन्द्र कुमार** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 05.08.2015 को मैं पुलिस थाना भालेरी में एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एफआईआर संख्या 53/2015 में गिरफतारशुदा मुल्जिमान सतार खां महबुब व रूश्तम ने आईओ धर्मपाल एचसी को प्रकरण का चोरीशुदा माल बरामद कराने की इतला दी थी। जिस पर मुल्जिम सतार खा ने अपनी इतला अनुसार अपने गांव मंदरपुरा में अपनी निशानदेही से हमें लेकर गया और अपने मकान में हमारे आगे–आगे प्रवेश कर पश्चिमी दक्षिणी कोना में बने कमरे के गेट को खोलकर एक तख्त के नीचे छुपा रखी बैटरी, एक कट्टे में रखी हुयी बैटरी की 72 प्लेटे व प्लास्टिक के टुकडे बरामद करवाये, जिन्हें बतौर वजह सबुत के जप्त किया गया था. कर्द जप्ती प्रदर्श पी 22 है जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 23 है. जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम महबुब खा अपनी इतला अनुसार अपने गाँव मदरपुरा में अपनी निशानदेही से हमें लेकर गया और अपने मकान में हमारे आगे–आगे प्रवेश कर उत्तरी–पूर्वी कोना में बने कमरे के गेट को खोलकर एक चारपाई के नीचे छुपा रखी बैटरी, एक बैटरी की 36 प्लेटे व प्लास्टिक के टुकडे बरामद करवाये, जिन्हे बतौर वजह सबूत के जप्त किया गया था. फर्द जप्ती प्रदर्श पी 25 है जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 28 है. जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम रूश्तम खा अपनी इतला अनुसार अपने गांव मंदरपुरा में अपनी निशानदेही से हमें लेकर गया और अपने मकान में हमारे आगे–आगे प्रवेश कर उत्तरी–पूर्वी कोना में बने कमरे के गेट को खोलकर बिस्तरो के नीचे छुपा रखी 45 प्लेटे, व बैटरियों को तोडकर निकाले गये प्लास्टिक के टुकडे बरामद करवाये, जिन्हे बतौर वजह सबुत के जप्त किया गया था. फर्द जप्ती प्रदर्श पी 28 है जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा–मीका प्रदर्श पी 29 है. जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि इतला से पूर्व अभियुक्तगण अनुसंधान अधिकारी के पास ही थे। उक्त प्रकरण में दर्शायी गयी प्लेटे किस धातु से निर्मित थी, किस कंपनी की थी, उस पर क्या मार्का था, आज मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि टावर में से उक्त प्रकरण में प्लेट चोरी नहीं हुयी थी, मुताबिक फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01 बैटरिया चोरी हुयी, जो उक्त प्रकरण में बरामद नहीं हुयी है। यह कहना सही है कि प्रकरण में जो चोरी हुआ सामान लिखवाया हुआ था, वो बरामद नहीं हुआ था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा आज न्यायालय में जो आर्टिकल 1 से 155 डलवाये गये है. वो प्लास्टिक एवं लोहे की जालीनुमा बनी हुयी सडक के पुलिये में काम आने वाली प्लेट्स हो तो मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उक्त प्लेटे प्लास्टिक व लोहेनुमा जाली से बनी हुयी व दुटी हुयी कई टुकडों में प्लास्टिक के कट्टों में डाल रखी है, जिनकी काउंटिंग करने पर सख्या बढ़ भी सकती है। यह कहना सही है कि मैलुसर गांव में बीएसएनएल का टावर स्थापित हो. इस संबंध में उक्त पत्रावली पर कोई दस्तावेजात शामिल पत्रावली नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली में मैलुसर गाव में टेलीकॉम टावर के संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई किरायानामा या पचायत द्वारा परमिशन नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवायी थी,उसकी प्राक्तिगत पहचान बावत कोई आईडी एवं बीएसएनएल अधिकारी संबंधित कोई आईडी मेरे सामने नहीं ली थी और ना ही मेरे सामने शामिल पत्रावली की थी। प्रदर्श पी 02 में हिस्सा ई से एफ में 03.04 2015 के स्थान पर कटिंग कर दिनांक 30.04.2015 बनाया गया है। यह कहना सही है कि उक्त एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुयी थी। यह कहना सही है कि उक्त एफआईआर में अलग–अलग दिनांक को चोरी होना बताया गया है. लेकिन उक्त एफआईआर देरी से दर्ज करने का कारण पचावली पर नहीं किया गया है एवं एफआईआर की कॉलम संख्या 8 में जी से एच हिस्से में नोट भी अंकित नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 02 में जी से एच हिस्से में देरी से संबंधित नो डीले अंकन किया हुआ है. जिसका मतलब है कि देरी नहीं हुयी है यानि चोरी एफआईआर वाली डेट को होती है, तब ही नो डीले लिखा जाता है। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि उक्त एफआईआर जिस दिन दर्ज हुयी थी या जिन तारीखों को चोरी होना एफआईआर में वर्णित किया है. उस दिनांक को उका प्रकरण के मुल्जिमान न्यायिक अभिरक्षा में हो। यह कहना सही है कि उजा प्रकरण में जो आज बयानों में आर्टिकल से 155 तक बताये है, वो किस अभियुक्त से कितनी कितनी सख्या में बरामद किये है, इस बारे मैं आज नहीं बता सकता हूँ, अजखुद कहा कि देखकर बता सकता हूँ। यह कहना सही है कि पत्रावली में मैंने जो बरामदगी स्थल दर्शाये है, वो किसके मालिकाना के हक के थे मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने अनुसंधान अधिकारी ने गांव के किसी भी सरपंच/पटवारी / ग्राम सेवक से बरामदगी स्थल के मालिकाना हक से संबंधित तस्दीक नहीं करवायी थी। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में दर्शित बरामदगी प्रदर्श ही 1 ता डीब में वर्णित सैल व बैटरियों की हो, क्योंकि सैल/बैटरी तो दो ही बरामद है. बाकी का सारा सामान स्कंपनुमा लोहे व प्लास्टिक की जालीनुमा प्लेटे है।

यह कहना सही है कि प्रदर्श डी 1 ए से बी में सैल सीरीज अंकित है व सी से ही हिस्से विकेता के हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 2 में ए से बी में बिल का जीएसटी राशि सहित मुल्य व सी से ही हिस्से में जारी करने वाले के हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 3 सैल बिल में ए से बी में सीरीज नम्बर अंकित है व सी से डी में जारी करने वाले के हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 4 में ए से बी में बिल का जीएसटी राशि सहित मुल्य व सी से डी हिस्से में जारी करने वाले के हस्ताक्षर है। गवाह ने प्रदर्श पी। देखकर कहा कि यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में जी से एच व आई से जे भाग में कटिंग की हुयी है तथा प्रदर्श पी 01 में मालिकाना हक से संबंधित कोई वर्णन नहीं है। मैलुसर गांव में कुल कितने टावर लगे हुये है, मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। टावर किस मौहल्ले में है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, औषधालय के पास दो टावर लगे हुये हो तो मुझझे ध्यान नहीं है. क्योंकि मैं कभी भी ाटनास्थल पर गया ही नहीं था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में टावर कहीं पर स्थापित है यह कही भी नहीं दर्शाया गया है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 03 में वर्णित स्थल से बैटरी चोरी नहीं हुयी हो। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि परिवादी ने अपने कोर्ट बयानों में बैटरी चोरी होने का जो अंकन किया है, वो सही किया है या गलत किया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में नक्शा मौका तैयार करने बाबत समय का अकन नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी 03 नक्शा मौका मेरे सम्ता तैयार नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि उक्त मुल्जिमान पूर्व से किसी अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हो और उन्हें प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफतार किया गया था या नहीं इस बारे में मुझे पता नहीं है। प्रदर्श पी 05, 09 व 10 एफआईआर में वर्णित मुल्जिमान पूर्व से न्यायालय से बरी हो गये हो तो मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 23, 23ए, 26, 260, 29, 29ए 22. 25 तथा 2बी (28) मेरे सामने तैयार की थी, लेकिन इनके मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेजात शामिल पत्रावली नहीं किये और ना ही ग्राम पंचायत या किसी सरकारी कर्मचारी से वेरीफाई किये है। प्रदर्श पी 2ए (26ए) में सी से डी, ई से एफ त्यान पुर करेक्कशन किया हुआ है और ना ही समय का अंकन है. अजखुद कहा कि आईओ के हस्ताक्षर किये हुये है। प्रदर्श पी 23, 230, 26, 260, 29, 290, 22, 25 तथा 2वी (28) जब तैयार किये थे, तब मौके पर घर में वहाँ कौन–कौन मौजुद थे, में नहीं बता सकता हूँ और कौन–सा हिस्सा किसके मालिकाना हक से संबधित था, मैं नहीं बता सकता हूँ एवं कुल कितने सभी प्रदर्श पी में दर्शित स्थल पर कुल कितने मकान बने हुये थे. मुझे याद नहीं है। प्रदर्श पी 30 फॉटोकॉपी है, जिसकी मूल पत्रावली पर नहीं है। प्रदर्श पी 05 में जो जप्ती दर्शित की गयी है, उसके सी से. डीहिस्से में तारीख में कटिंग की गयी है। प्रदर्श पी 05 इस प्रकरण में की गयी गाडी की जप्ती है, जो मेरे समक्ष नहीं की गयी थी, जिसमें दिनांक 05.07.2015 की है या 08.07.2015 की है. इस बारे में आज मुझे ध्यान नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि उक्त प्रकरण में वर्णित चोरी दिन में हुयी थी या रात में हुयी थी। मुझे ध्यान नहीं है कि उक्त प्रकरण में दर्शित चोरीस्थल का परिवादी मालिकाना हक रखता है या नहीं रखता है। आर्टिकल 1 व 2 कितने वाट या एचपी का है व किस कंपनी का है. इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ और आज मुझे याद भी नहीं है। बीएसएनएल पर लगे टावर के जनरेटर की बैटरी चोरी हुयी

थी या नहीं हुयी थी, मैं नहीं बता सकता हूँ, अजखुद कहा कि बैटरी चोरी हुयी थी। मेरे समक्ष इस संबंध में कोई तफतीश नहीं की गयी थी कि यदि उक्त टावर से संबंधित टेक्शीनिशियन ने अपने उच्चअधिकारीयों की बिना परमिशन से या परमिशन से इस टावर पर लगी बैटरीयों को दूसरे टावर पर लगा दी हो। यह कहना गलत है कि मैलुसर गांव में कोई चोरी नहीं हुयी हो और हमारे थाने के थानाधिकारी के मित्र मंगल सिंह एएसआई के कहने से फर्जी मुकदमा दर्ज कर गलत तफतीश कर मुल्जिमान को झूठा फंसाया हो। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि मंगलसिंह एएसआई को भ्रष्टाचार निरोधक दल द्वारा मुल्जिमान के काका गुलाम हुसैन द्वारा ढेप करवाया गया हो। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि मंगलसिंह मेरे थानाधिकारी का मित्र है या नहीं है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.7 कैलाशचन्द्र** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनाक 04.08.2015 को मैं पुलिस थाना मौलेरी में हैडकानि के पद पर कार्यरत था। उस रोज श्री धर्मपाल सिंह हैडकानि के साथ एफआईआर नम्बर 53/2015 में गिरफतारशुदा मुल्जिमान सतार, महबुब तथा रूस्तम के साथ घटनास्थल की तस्दीक के लिये गया था। मुल्जिमान ने घटनास्थल तस्दीक करवायी थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 06 है जिस पर सी से ही स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। दिनाक 05.08.2015 को मैं धर्मपाल सिंह हैडकानि व मुल्जिमान के साथ बरामदगी के लिये गया था। मुल्जिम सतार के घर से एक बैटरी 72 प्लेटे व कुछ प्लास्टिक के टुकडे बरामद किये थे, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्शपी 22 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। बरामदगी स्थल का नक्शा–मीका प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज मुल्जिम महबुब के मकान से एक बैटरी, 36 प्लेटे व कुछ प्लास्टिक के टूटे हुये टुकडे बरामद किये थे. जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा–मौका प्रदर्शपी 26 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज मुल्जिम रूक्तम के घर से कुछ प्लास्टिक के टुकडे और 45 प्लेटे बरामद की थी जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा–मीका प्रदर्श पी 29 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि मैंने एफआईआर पढी नहीं है, इसलिये मैं नहीं बता सकता हूँ कि जो सामान बरामद हुआ है, उसका अंकन एफआईआर में किया गया है या नहीं किया गया है। हमने जो प्लेटे बरामद की थी वो प्लेटे तांबे व जस्ता धातु से बनी हुयी थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय में जो आर्टिकल 1 से 155 पेश हुये है, वो आर्टिकल लोहे व प्लास्टिक, से बनी जालिया हो। यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर नहीं गया हूँ। घटनास्थल पर एक टावर लगा हुआ था, जो किस कंपनी का था. मुझे ध्यान नहीं हैं। मैलुसर गांव में औषधालय के पास उका टावर था। औषधालय के पास वर्तमान में तीन टावर लगे हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अजखुद कहा कि उस समय एक टावर ही लगा था। घटनास्थल का नक्शा मौका कब बनाया गया था मुझे जानकारी नहीं

है, क्योंकि मैं नक्शा मौका बनाने के लिये साथ नहीं गया था। मुल्जिमान ने घटनास्थल तस्दीक बाबत सुचना दी थी, इस कारण से मैं वहाँ पर गया था। मुल्जिमान की गिरफतारी की तारीख मुझे पता नहीं है. अजखुद धर्मपाल हैडकानि के द्वारा गिरफतारी की गयी थी। यह कहना सही है कि उक्त घटना बोरी की जो दिनांक बतायी गयी है, उस समय मुल्जिमान पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 02 में ई से एफ व आई से जे हिस्से में चोरी होने की दिनाक का अंकन किया गया है. उसमें दिनांक 03.04.2015 से दिनाक 05.06.2015 के बीच की है, जिसमें करीब 2 महीने का समय है, अजखुद कहा कि दिनाक 03.04.2015 में कटिंग करके दिनाक 30.04.2015 लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि उक्त कटिंग किसने की है. मैं नहीं बता सकता हूँ और यह भी सहीं है कि इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 02 के जी से एच हिस्सा में नो डीले का अकन किया हुआ है। यह कहना सही है कि मैं बरामदगी स्थल पर साथ गया था, इस संबंध मेंकोई रोजनामचा रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। फर्द प्रदर्श पी 06 मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जो करीब 5 पीएम पर तैयार की गयी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 06 के हिस्सा एम से एन में केवल 5 अंकित है, एएम व पीएम का अंकन नहीं है। मुल्जिमान कितने समय से पुलिस के कब्जे में थे, इसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 06. 22, 23, 25, 26, 28, 29 तैयार की थी. तब मुल्जिमान हमारे कब्जे में ही थे। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जो बरामदगी दर्शायी गयी है. ऐसे टुकडे कबाड में कही पर भी उपलका हो सकते है। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष परिवादी ने मैलुसर गांव में स्थित टावर से संबंधित कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये थे, आईओ के समक्ष पेश किये हो तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ।हमारे द्वारा जो बरामदगी स्थल बताये गये है. उस स्थान पर शायद पुलिस थाना नौहर लगता है. कन्फर्म याद नहीं है। हुम बरामदगी स्थल पर सीधे ही बला गया था. हमने उस स्थान से संबंधित थाने में कोई रोजनामचा रिपोर्ट नहीं डलवायी थी। यह कहना सही है कि हमने बरामदगी में दर्शित स्थल के मालिकाना हक से संबंधित गाव के किसी भी सरपंच, ग्राम सेवक पटवारी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से तस्दीक नहीं की थी। यह कहना गलत है किः एफआईआर में दर्शित बैटरिया बरामद नहीं हुयी हो, फिर कहा कि सम्पूर्ण बैटरिया बरामद नहीं हुयी थी। मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि जो बैटरिया या सैल बरामद हुये थे वो डीजे बलाने के लिये काम आती है या टावर संचालित करने के काम आती है। बैटरीया किस कंपनी की थी, कितने वाट की थी या बैटरिया के सीरीज नम्बर क्या थे, ये सब मैं देखकर बता सकता हूँ, आज मुझे याद नहीं है। बरामदगी स्थल गांव के किस मौहल्ले में थे. में नहीं बता सकता हूँ। बरामदगी स्थल कितनी–कितनी दूरी पर थे, मैं नहीं बता सकता हूँ। बरामदगी स्थलों पर कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था, केवल हम थे और मुल्जिमान थे। बरामदगी स्थल खुला मकान नहीं था, मकान था। मकान में बच्चे थे व महिलाये थी। यह कहना सही है कि मकान में जो महिलाये व बच्चे थे, उनको अनुसंधान अधिकारी के द्वारा गवाह बनने के लिये कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यदि इस टावर के सबधित जो टैक्नीशियन था उसने इस टावर की बैटरियों को बिना परमिशन के दूसरे

टावर पर लगा दी हो तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे थानाधिकारी के मित्र मंगलसिंह को मुल्जिमान के चाचा द्वारा एसीबी में टेप करवाया दिया गया हो, जिस पर थानाधिकारी के द्वारा मुल्जिमान के विरूद्ध गलत अनुसंधान कर उन्हें झुठा फंसाया गया हो। यह कहना सही है कि मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि इस प्रकरण में चोरी किस दिनांक को हुयी थी और सुबह को हुयी थी या शाम को हुयी थी।

गवाह **पी.डब्ल्यू.8 गोपाल सिंह** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 16.08.2015 को मैं पुलिस थाना मालेरी में धानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज श्री धर्मपाल एचसी ने मुकदमा नम्बर 53 2015 में आरोपी सतार खा. महबुब खा व रूश्तम खा के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.द.स. के अन्तर्गत जुर्म प्रमाणित मानकर व अनुसंधान पूर्ण कर पत्रावली आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करने हेतु मेरे समक्ष पेश की, मैंने पत्रावली का अवलोकन कर अनुसंधान सत्य मानते हुये उक्त तीनों आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जो प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि प्रकरण में मेरे द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया था। प्रश्नः– प्रदर्श पी 32 चार्जशीट में दिनांक 03.04.2015 से दिनांक 05.06.2015 के बीच 24 पुरानी व नई बै बरामद नहीं हुयी थी, इस बारे में आपको क्या कहना है? उत्तर– दिनाक 03.04.2015 से दिनांक 05.06.2015 के बीच पुरानी 22 बेटरिया या सैल चोरी हुये थे एवं 24 नयी बेटरिया चोरी हुयी थी, जिनमें से कुछ सैल या बेटरिया एवं कुछ टुटी हुयी प्लेटे तथा टुटा हुआ प्लास्टिक बरामद हुये थे। यह कहना सही है कि इस प्रकरण में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गयी थी। मुल्जिमान की गिरफतारी न्यायालय के आदेश से चूरू जैल से गिरफतारी हुयी थी, जो थाना भानीपुरा के मुकदमा नम्बर 86 व 93/2015 में जे.सी. में थे। मुल्जिमान के चाचा ने इस घटना के समय तक मंगल सिंह एएसआई को एसीबी से टेप करवाया हो, तो मुझे ध्यान नहीं है. बाद में टेप करवाया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि मेरे मित्र मंगल सिंह को इस प्रकरण की एफआईआर होने से पहले टेप करवाया था या नही था. अजखुद कहा कि मंगल सिंह मेरा मित्र नहीं था, उसने मेरे पास काम किया हुआ है. इसलिये मैं उसे जानता जरूर हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि बेटरिया कितने वाट की थी या किस कपनी की थी, क्योंकि मैंने अनुसंधान नहीं किया था। आज मुझे याद नहीं है कि बैटरियों के मालिकाना हक के संबंध में बीएसएनएल कंपनी से कोई रिकॉर्ड लिया गया हो।

गवाह **पी.डब्ल्यू.9 कश्यप सिंह** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनाक 27.07.2015 को मैं पुलिस थाना भानीपुरा में एसआई प्रशिक्षु के पद पर कार्यरत था। उस रोज एफआईआर संख्या 93/2015 अन्त धारा 136 विद्युत अधिनियम पुलिस थाना भानीपुरा का अनुसंधान में कर रहा था। उक्त मुकदमा में गिरफतारशुदा मुल्जिम सतार ने भानीपुरा थाने की एफआईआर संख्या 93/2015 के वजह सबुत के साथ–साथ अपनी पूछताछ रिपोर्ट में अपने साथ महबुब रूश्तम व युनुस द्वारा महबुब की

पिकअप गाड़ी से घडसीसर के टावर में बैटरी चोरी करने की बात स्वीकार की थी तथा साथ ही यह बताया था कि पिचकराई टावर में बैटरियों की चोरी उन्होंने की थी। उसके बाद बोघेरा में बिजली की डीपी चोरी की थी और फिर भानीपुरा में लगे टावर से बैटरिया चुराई थी। भानीपुरा के उपतहसील कार्यालय के आगे लगे डीपी चुराई थी फिर सावर में स्कुल के पास लगी दो डीपीया चुराई थी. फिर मालकसर में भी बैटरिया चुराई थी और सरदारशहर में भी बैटरियों की चोरी की थी। मुल्जिम सतार की पूछताछ रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है जिस पर ई से एफ मेरे व जी से एच स्थान पर मुल्जिम सतार के हस्ताक्षर है। उसी रोज इसी मुकदमा में गिरफतारशुदा मुल्जिम रूश्तम ने अपनी पूछताछ रिपोर्ट में मुल्जिम सतार की गाडी संख्या आरजे 49 जीए 0706 द्वारा चोरीयों की घटना कारित करना तथा भालेरी के मैलुसर में लगे टावर से बैटरिया चोरी करना स्वीकार किया था तथा चोरी की घटना में अपने साथ–साथ युनुस, महबुब व सतार का शामिल होना बताया था। मुल्जिम रूश्तम की पूछताछ रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 है जिस पर ई से एफ स्थान पर मेरे जी से एच स्थान पर मुल्जिम रूश्तम के हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि मेरे द्वारा जो भानीपुरा थाना के प्रकरण संख्या 93/2015 और एफआईआर संख्या 86/2015 में बाद अनुसंधान गिरफतार किये गये आरोपीगण माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू से बरी हो गये हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 07 व 08 उक्त पत्रावली पर फोटोकॉपी है. मूल नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 07 व 08 मेरी स्वय की कलमी नहीं हो, अजखुद कहा कि प्रदर्श पी 07 व 08 मैंने मेरी स्वय की कलमी में तैयार की थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई तफतीश नहीं की गयी है और ना ही उक्त प्रकरण में दर्शायी गयी चोरी हुयी या नहीं आरोपीगण की पूछताछ के अतिरिक्त में नहीं बता सता सकता हूँ। यह कहना सही है कि उपरोक्त दोनो पूछताछ नोट प्रदर्श पी 07 व 08 इस पत्रावली में शामिल करने के लिये अनुसधान अधिकारी पुलिस थाना भालेरी द्वारा प्रेषित कोई पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना भानीपुरा के नाम एवं संबंधित दोनो थाने के रोजनामचे पत्रावली पर मौजूद नहीं है। आज मुझे याद नहीं है कि उक्त मुल्जिमान के विरूद्ध पुलिस थाना भानीपुरा मे कितने प्रकरण दर्ज थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान के परिजनों द्वारा पुलिस थाना नौहर के तत्कालीन एएसआई मंगलसिंह को एसीबी में टेप करवाया गया था, कि रंजिशवश पुलिस थाना भानीपुरा व पुलिस थाना भालेरी के थानाधिकारीगण व अनुसंधान अधिकारीगण कीमंगलसिंह के साथ मित्रता होने के कारण आरोपीगण को झुठा फंसाया गया हो। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा पत्रावली में कोई गलत अनुसंधान कर आरोपीगण के विरूद्ध दस्तावेजात शामिल पत्रावली करने के लिये दिये गये हो।

11. उक्त अवधार्य बिंदुओं के संबंध में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श पी

01 है, जिसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादी शांतिप्रकाश पी.डब्ल्यू 01 के रूप् में परीक्षत हुआ है तथा वह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कथन करता है कि "मैंने थाने में एक लिखित प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करने लिये दिया था, जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर चाक एफआईआर दर्ज हुयी, जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।" इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में सफल रहा है कि पूर्व में परिवादी शांतिप्रकाश के द्वारा दी गयी लिखित रिपोर्ट के आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया था।

जहां तक हस्तगत प्रकरण में उक्त अवधार्य बिन्दु के तहत निहित अपराध के संबंध में वर्णित घटनाक्रम का प्रश्न है, तो उसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि संपूर्ण घटनाक्रम के बाबत परिवादी शांतिप्रकाश, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 01 पेश किया गया था, जिसके आधार पर हस्तगत प्रकरण दर्ज हुआ था, वह अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन करता है कि ''दिनांक 06.06.2015 को मैंने प्रकाश शर्मा निवासी मैलूसर बीकान को फोन किया और कहा कि दूरभाष केन्द्र में जाकर चेक करों, जिसकी चाबी प्रकाश शर्मा के पास रहती है, फिर प्रकाश शर्मा ने जाकर मुझे बताया कि दूरभाष केन्द्र में लगी हुयी दो एचबीएल कंपनीओं की बेट्रियों में से एक बेट्री के 22 सेल गायब है व ताला लगा हुआ मिला अगले दिन सुबह फिर प्रकाश शर्मा ने मुझे फोन किया और कहा कि उक्त भवन का ताला खुला पड़ा है, नई बेट्रियों के 24 के 24 सेल गायब है, कोई अज्ञात व्यक्ति हमारी बेट्रियों के सेल चोरी करके ले गया।'' इसके संबंध में प्रदर्श पी 01 लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए, तो प्रदर्श पी 01 में परिवादी शांतिप्रकाश के द्वारा ऐसे किसी भी तथ्य का अंकन नहीं है कि उसके द्वारा दिनांक 06.06.2015 को प्रकाश शर्मा को मैलूसर बीकान के दूरभाष केन्द्र चेक करने के बाबत कोई फोन किया हो। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वह स्वयं यह कथन करता है कि एक्सचेंज ग्राम मैलूसर बीकान के पुराने मकान में स्थित है, जिसमें कोई कर्मचारी नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त यह भी मान लिया जाए कि परिवादी को प्रकाश शर्मा के द्वारा घटना की जानकारी दी गयी थी तथा परिवादी के द्वारा इस आशय का भी कोई अंकन अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में नहीं किया गया है कि दिनांक 07.06.2015 को सुबह परिवादी को प्रकाश शर्मा के द्वारा कितने बजे व किस प्रकार सूचित किया गया। इस स्थिति में प्रकाश शर्मा सबसे महत्वपूर्ण गवाह हो जाता है, जो पी.डब्ल्यू 02 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। परिवादी के द्वारा दी गयी लिखित रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश शर्मा के द्वारा चोरी की घटना के बाबत सर्वप्रथम परिवादी को बताया गया था। उक्त प्रकाश शर्मा न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से पक्षद्रोही साबित हुआ है तथा वह जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन करता है कि ''मुझे जानकारी नहीं हैं बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज मेलूसर में कोई चोरी हुयी थी या नहीं। ना ही मैंने कभी किसी को भवन का ताला खुला होने के संबंध में कोई जानकारी दी और ना ही मुझे किसी ने इसके बारे में जानकारी दी और ना ही मैंने चोरी के संबंध में शांतिप्रकाश या किसी अन्य को फोन किया।'' इस प्रकार परिवादी के द्वारा हस्तगत प्रकरण संस्थित करने के बाबत जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व अपनी मुख्य परीक्षा में जो घटना की

सूचना के बाबत कथन किये गये हैं, जिसके आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया था। उक्त समस्त तथ्य ही गवाह पी.डब्ल्यू 02 प्रकाश के बयानों से संदेहास्पद हो जाते हैं। इस स्थिति में उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के आधार पर दर्ज किया गया हस्तगत प्रकरण का घटनाक्रम प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में आ जाता है।

इसके उपरांत भी यदि अन्य तथ्यों पर विचार किया जाए, तो जहां तक धारा 380 भा.दं.सं. का प्रश्न है, तो इसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो गवाह पी.डब्ल्यू 01 व पी.डब्ल्यू 02 आदि के बयानों से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में घटना का कोई भी चक्क्षूदर्शी साक्षी नहीं था, इस स्थिति में यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां घटना के बाबत कोई भी चक्क्षूदर्शी साक्षी पत्रावली पर मौजूद नहीं है, वहां अभियोजन पक्ष को संपूर्ण घटनाक्रम अभियुक्त के विरुद्ध कड़ीबद्ध रूप से साबित करना होता है। धारा 380 भा.दं.सं. का अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने के सर्वप्रथम कड़ी यह थी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करें कि अभियुक्तगण से बरामदशुदा सामान वहीं सामान था, जो टावर पर पूर्व में इंस्टोल किया हुआ था। इसके संबंध में परिवादी से बचाव पक्ष के द्वारा पूर्ण जिरह की गयी है। परिवादी जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से कथन करता है कि ''यह कहना सही है कि मैं किसी भी मुल्जिम को जानता नहीं हूं, ना ही मैं मुल्जिम को देखकर पहचान सकता हूं। यह कहना सही है कि चोरी करते हुए मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा। यह सही है कि मेरे सामने किसी भी प्रकार की बरामदगी नहीं हुयी थी।'' आगे उक्त गवाह यह कथन करता है कि ''मैलूसर गांव के उक्त टावर पर कब व कितने बजे चोरी हुई, मुझे पता नहीं। यह कहना सही है कि हमारे टावरों पर लगे हुये सैलों की एक साथ खरीद की जाती है और बिल लेकर आते हैं। यह कहना सही है कि बिल पत्रावली पर पेश नहीं किया गया हुआ हैं। यह कहना सही है कि हमारे पास जिस टावर पर से जो सेल लगाये जाते है, उनके कोमन लोट नंबर आते हैं, जो रेंक पर लिखे जाते हैं, इसका हमारे पास रिकोर्ड होता है, जो पत्रावली पर पेश नहीं हुआ है। सेल में कोई किलोवॉट नहीं होते है। सेल के सीरिज नंबर होते हैं, जो मैं नहीं बता सकता और ना ही सीरिज नंबर का हमारे पास कोई रिकोर्ड है।'' इस स्थिति में जहां पूर्व में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवायी गयी थी व दौराने अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बरामदशुदा सामान की कोई भी शिनाख्तगी परिवादी शांतिप्रकाश से अनुसंधान अधिकारी के द्वारा नहीं करवायी गयी थी, साथ ही अनुसंधान अधिकारी के बयानों से यह भी स्पष्ट है कि दौराने अनुसंधान उनके द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित की गयी, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि चोरीशुदा सामान तथाकथित सेल वहीं सेल हो, जो परिवादी के द्वारा बीएसएनएल के टावर पर इंस्टोल करने हेतु पूर्व में खरीद किये गये हों, इसके बाबत कोई बिल आदि भी पत्रावली पर संलग्न नहीं है। इस स्थिति में चोरीशुदा सामान परिवादी का सामान हो तथा उसे बीएसएनएल के तथाकथित टावर पर इंस्टोल किया गया हो। यह तथ्य भी जहां साबित नहीं है, वहां चोरीशुदा सामान परिवादी के द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में बताया गया सामान ही हो, यह तथ्य संदेहास्पद हो जाते हैं। इस स्थिति में अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण से जोड़े जाने बाबत कोई भी कड़ी शेष नहीं रह जाती

है, इसके बाबत अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 05 धर्मपाल से जिरह की गयी है, जिसमें वह यह कथन करता है कि ''यह कहना सही है कि प्रकरण में जो चोरी हुआ सामान लिखवाया हुआ था, वह बरामद नहीं हुआ था। न्यायालय में जो आर्टिकल 01 से 55 डलवाये गये हैं, वह प्लास्टिक एवं लोहे की जालीनुमा बनी हुयी सड़क के पुलिये में काम आने वाली प्लेट्स हो तो मैं नहीं बता सकता।'' इस प्रकार स्वयं अनुसंधान अधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जिस सामान की चोरी होने का आरोप लगाया गया था, वह सामान बरामद नहीं हुआ है। चूंकि पूर्व में परिवादी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवायी गयी थी एवं प्रकरण में घटना का कोई भी चक्क्षूदर्शी साक्षी नहीं है। इस स्थिति में उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण से जोड़ी जाने वाली कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. साबित करने के लिए आगे अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि जो सामान अभियुक्तगण से जरिये फर्द बरामद किये गये, उन्हें उन्हीं अवस्था में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जबकि पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि गवाह पी.डब्ल्यू 05 की साक्ष्य के दौरान जब उक्त सामान न्यायालय में पेश किया गया, तो वजह सबूत अनशील्ड अवस्था में पेश हुआ है। इस स्थिति में यह तथ्य ही संदेहास्पद हो जाता है कि जप्तशुदा सामान उसी अवस्था में सुरक्षित रूप से मालखाना में रहा हो। इस स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध दौराने अनुसंधान एकत्रित की गयी साक्ष्य व की गयी कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

इसके अतिरिक्त यदि धारा 457 भा.दं.सं. के संबंध में आगे विचार किया जाए, तो धारा 457 भा.दं.सं. के लिए अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना था कि विवादित स्थल जहां से तथाकथित रूप से सेल चोरी करना बताया गया है तथा वहां पर अभियुक्तगण द्वारा गृहअतिचार कारित किया गया हो। जिसके संबंध में परिवादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है उक्त टावर पुराने मकान में बीएसएनएल का टावर चलता था, परंतु परिवादी के द्वारा उक्त मकान के बाबत कोई एग्रीमेंट व किरायानामा अथवा अन्य कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू 05 जिरह में यह कथन करता है कि " यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली में मैलूसर गांव के टेलीफोन टावर के संचालन के संबंध किसी भी प्रकार का कोई किरायानामा व पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई परमीशन नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवायी थी, उसकी व्यक्तिगत पहचान बाबत आईडी व बीएसएनएल अधिकारी संबंधित कोई आईडी, ना तो मैंने ली थी और ना ही संलग्न पत्रावली है।" स्वयं परिवादी यह कथन करता है कि "यह सही है कि मैंने पत्रावली ऑथोरिटी पेश नहीं की है और साथ में लेकर नहीं आया हूं। यह सही है कि टावर वाला स्थान सुनसान स्थान पर है, वहां पर कोई गार्ड नहीं रहता है।" परिवादी के द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज अथवा एग्रीमेंट भी पेश नहीं किये गये है, जिससे यह साबित होता हो कि वरवक्त घटना बीएसएनएल टावर घटनास्थल पर रहा हो व वहां पर

खरीदशुदा बैट्रीयां इंस्टोल की गयी हो, ना ही परिवादी के द्वारा ऐसा स्पष्ट किया गया है कि प्रथम चोरी किस दिनांक को हुयी हो।

जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पेश किये जाने का बिन्दु है, तो इस संबंध में परिवादी के द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में दिनांक 03.04.2015 से दिनांक 05.06.2015 व दिनांक 06.06.2015 से 07.06.2015 को सेल चोरी होने के कथन करता है, तो उक्तानुसार तथाकथित प्रथम घटना की समयावधि तकरीबन 02 माह की है, उक्त 02 माह की अवधि के दौरान उक्त घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति नहीं गया हो तथा परिवादी को तथाकथित बैट्रीयों के सेल चोरी होने की सूचना नहीं हुयी हो, यह तर्क प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में संभव नहीं है तथा परिवादी के द्वारा प्रथम घटना के बाबत कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में पेश नहीं करने के संबंध में प्रश्न है, तो स्वयं परिवादी अपने बयानों में स्वीकार करता है तथा वह यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कि दिनांक 30.04.2015 से दिनांक 05.06.2015 के बीच कोई भी मुकदमा हमने दर्ज नहीं करवाया था।" पूर्व के विवेचन के अनुसार यह तथ्य भी संदेहास्पद हो जाता है कि परिवादी को चोरी की सूचना किस प्रकार प्राप्त हुयी थी। उपरोक्त समग्र विवेचन से अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता अथवा बरामदशुदा बैट्रियां पूर्व में अभियुक्तगण के द्वारा तथाकथित रूप से चोरी की गई बैट्रियां ही हो, यह तथ्य अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन के पश्चात अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अवधार्य बिंदु में निहित अपराध श्रृंखलाबद्ध, विश्वसनीय, ठोस एवं युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है जिससे यह साबित होता हो कि "अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब द्वारा दिनांक 30.04.2015 से 05.06.2015 के बीच किसी समय व दिनांक 06.06.2015 से 07.06.2015 के बीच किसी समय ग्राम मेलूसर बीकान में स्थित दूरभाष केन्द्र (बी.एस.एन.लि.) से चोरी करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार कर बिना परिवादी शांतिप्रकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी की सम्मति के पुरानी बैट्री सेट 24 में से 22 बैट्री सेल व नये बैट्री सेट पूरा का पूरा 24 सेल बेईमानीपूर्वक चोरी कर अपराध कारित किया गया हो।" ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

12. फलतः अभियुक्त सं. 01 सत्तार पुत्र हबीब खां, उम्र 25 साल, अभियुक्त सं. 2. रूस्तम पुत्र हुसैन, उम्र 27 साल व अभियुक्त सं. 3. महबूब पुत्र आमीन खां, उम्र 30 साल निवासीगण– मन्दरपुरा, थाना नोहर, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अंतर्गत, प्रत्येक अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, छः माह की अवधि के लिए राशि 10–10 हजार रूपये के व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी राशि की पृथक–पृथक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश होने पर अभियुक्तगण द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किए जाए।

14. प्रकरण में जब्तशुदा सामान यदि कोई शेष हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार निस्तारण किया जाए।

(नवदीप) आरजेएस
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर, जिला–चूरू।

15. निर्णय व आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(नवदीप) आरजेएस
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर, जिला–चूरू।

CHIRAG SHARMA
Digitally signed by CHIRAG SHARMA
Date: 2026.03.17 15:51:22 +0530